Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 104-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 22, 2018 (ASADHA 1, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जून, 2018

संख्या 8/1/2018–4आई.बी.–ग.— हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का 1), की धारा 87 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम, 2012, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम, 2012 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) प्रत्येक विद्यमान सोसाइटी, अधिनियम के लागू होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी फीस के बिना या अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (4) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार परिशिष्ट–1 में अन्तर्विष्ट फीस की अनुसूची में निर्दिष्ट फीस के भुगतान पर आगामी सतावन मास तथा तीन दिन अर्थात 31 दिसम्बर, 2018 तक, के भीतर प्ररूप–VI में नई रजिस्ट्रीकरण संख्या के आबंटन के लिए जिला रजिस्ट्रार को आवेदन करेगी। सोसाइटी जिला रजिस्ट्रार के पास आदेवन दायर करेगी तथा उसके सम्मुख प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के साथ–साथ शासकीय निकाय द्वारा विधिवत प्राधिकृत पदाधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करेगी कि सोसाइटी का ज्ञापन तथा उपविधियां अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों के अनुरूप हैं"।

3. उक्त नियमों में, नियम 31 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–

"32. अन्तरण फीस का नियतन्–सोसाइटी किसी अपार्टमैंट के विक्रय की दशा में, दस हजार रूपये से अधिक अन्तरण फीस प्रभारित नहीं करेगी और ऐसी सोसाइटी तदनुसार उपविधियां भी उपान्तरित करेगी और उपान्तरित उपविधियां जिला रजिस्ट्रार से अनुमोदित करवाई जाएंगी"।

"33. अनुरक्षण प्रभारों का नियतन्–सोसाइटी सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाओं के अनुरक्षण के लिए अपार्टमैंट के आकार के आधार पर प्रभार नियत करेगी तथा ऐसी विद्यमान सोसाइटी तद्नुसार उपविधियां भी उपान्तरित करेगी और उपान्तरित उपविधियां जिला रजिस्ट्रार से अनुमोदित करवाई जाएंगी"।

देवेन्दर सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

Notification

The 22nd June, 2018

No. 8/1/2018-4IB-II.— In exercise of the powers conferred by section 87 of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012(1 of 2012), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Registration and Regulation of Societies Rules, 2012, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Rules, 2018.

2. In the Haryana Registration and Regulation of Societies Rules, 2012 (hereinafter called the said rules), in rule 8, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Every existing Society shall apply to the District Registrar for allotment of a new registration number in Form-VI within a period of two years from the date of coming into force of the Act without any fee or within next fifty seven months and three days *i.e.* upto the 31st December, 2018 on payment of fee set out in the Schedule of fees contained in Appendix-I in terms of provisions contained in sub-section (4) of section 9 of the Act. The Society shall file application and submit the requisite documents alongwith a certificate from the office bearer duly authorized by the Governing Body to the effect that the Memorandum and the Bye-laws of the Society, as being presented before the District Registrar, conform to the provisions of the Act and the rules made thereunder".

3. In the said rules, after rule 31, the following rules shall be added, namely:-

"32. Fixation of transfer fee.- The Society shall not charge transfer fee not more than ten thousand rupees in case of sale of apartment and such society shall also modify the bye-laws accordingly and get the modified bye-laws approved from the District Registrar".

"33. Fixation of maintenance charges.-The society shall fix the charges on the basis of size of apartment for maintenance of common area and facilities, as such, existing society shall also modify the bye-laws accordingly and get the modified bye-laws approved from the District Registrar."

DEVENDER SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Industries and Commerce Department.

56349—C.S.—H.G.P., Chd.